


सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30042026-272182
CG-DL-E-30042026-272182

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2071]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 30, 2026/वैशाख 10, 1948

No. 2071]

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 30, 2026/VAISAKHA 10, 1948

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अप्रैल, 2026

का.आ. 2144(अ).— केंद्रीय सरकार, सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (2020 का 36) की पहली अनुसूची के तीसरे परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तारीख 1 मई, 2026 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको और जिससे लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र के एंड्रोट, अमीनी, कडमठ, कल्पेनी, चेतलात और किल्लतान द्वीपों के संपूर्ण क्षेत्रों में स्थापनों के नियोक्ताओं और कर्मचारियों से अभिदाय धारा 29 के अधीन संदेय होगा तथा ऐसे स्थापनों के कर्मचारियों को निगम द्वारा कर्मचारी राज्य बीमा निगम से संबंधित अध्याय 4 के अधीन फायदे प्रदान किये जाएंगे।

[फा. सं. एस-38013/04/2026-एस एस-1]

आशुतोष ए.टी. पेडनेकर, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT**NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th April, 2026

S.O. 2144(E).— In exercise of the powers conferred by the third proviso to First Schedule of the Code on Social Security, 2020 (36 of 2020), the Central Government hereby appoints the 1st day of May, 2026, as the date on and from which the contribution from the employers and employees of establishments in the entire areas of the Andrott, Amini, Kadmat, Kalpeni, Chetlat, and Kiltan Islands in the Union territory of Lakshdweep shall be payable under section 29 and any benefits under Chapter IV relating to the Employees State Insurance Corporation will be provided by the Corporation to the employees of such establishments.

[F. No. S-38013/04/2026-SS-I]

ASHUTOSH A.T. PEDNEKAR, Jt. Secy.